

152

Group Housing 0857/2021

18/11/20

प्रवीन कुमार सिंह  
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-33  
ACC ID-14123404  
तह० कोल, अलीगढ़




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP12964966400988S  
 Certificate Issued Date : 18-Nov-2020 03:09 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14123404/ ALIGARH/ UP-ALG  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1412340419659216213057S  
 Purchased by : SMIRITI COLONIZERS AND BUILD BY PARTNER AMIT KUMAR  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : SITUATED AT- BHIKAMPUR PARGANA AND TEHSIL KOIL ALIGARH.  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : MAHESH CHANDRA SON OF TEJPAL SINGH  
 Second Party : SMIRITI COLONIZERS AND BUILD BY PARTNER AMIT KUMAR  
 Stamp Duty Paid By : SMIRITI COLONIZERS AND BUILD BY PARTNER AMIT KUMAR  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,50,000  
 (One Lakh Fifty Thousand only)



.....Please write or type below this line.....


ATTESTED

BASANT GIRI  
NOTARY ADVOCATE  
TEH. KOIL, ALIGARH

IB 0011638640

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. Details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

111 127866 DN 127866



Attested Photo  
Mahesh Chandra  
Ram




Attested Photo  
Amit Kumar  
Ram

18/11/2020 -2-

18/11/2020


(बैनामा कृषि भूमिधरी)

क्षेत्राधिकार उपनिबन्धक II



01. भूमि का प्रकार - कृषि भूमिधरी।
02. सम्पत्ति की स्थिति - मौजा भीकमपुर परगना व तहसील कांठ जिला अलीगढ़।
03. विक्रीत क्षेत्रफल - 0.11325 हैक्टेयर
04. मापन की इकाई - हैक्टेयर।
05. सड़क की स्थिति - विक्रीत भूमिधरी जी0टी0 रोड़ रोड़ से 2 कि0 मीटर दूर स्थित है तथा रेलवे स्टेशन व बस स्टैन्ड अलीगढ़ से लगभग 7 कि0मी0 दूर स्थित है।






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 127867

-3-


06. विक्रीत कृषिभूमिधरी में कोई पेड, बोरिंग व निर्माण नहीं है।
07. प्रतिफल की धनराशि - 26,00,000/- रुपया।
08. सरकारी मालियत - 25,81,000/- रुपया।
09. देय स्टाम्प - 1,82,000/- रुपया। (जिसमें 1,50,000/- रुपये का ई-स्टाम्प जिसका सर्टीफिकेट नं० IN-UP12964966400988S दिनांक 18.11.2020 ई० का सलग्न है तथा मु० 32,000/- रुपये के जनरल स्टाम्प पर टाइप किया गया है।
10. सर्किल दर - 1,21,00,000/- रुपया प्रति हैक्टेयर पेज नम्बर 39 वी कोड 0309 के कॉलम 13 के अनुसार है।  
विकासशील ग्राम होने के कारण विक्रीत रकवा में रकवा 0.100 है० अतिरिक्त जोड़कर नियमानुसार मूल्यांकन कर कुल मालियत पर स्टाम्प देय है।
11. मास्टर प्लान सीमा की स्थिति - अन्दर है।
12. पूर्व में कोई इकरारनामा नहीं हुआ है।
13. विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है।
14. विक्रीत भूमिधरी ग्राम समाज, नजूल, पट्टा, भूदान एवं कृषि आवंटन की नहीं है।
15. विक्रीत भूमिधरी की 200 मीटर की त्रिज्या में कृषि हो रही है।
16. विक्रीत भूमिधरी राष्ट्रीय राजमार्ग, जनपदीय लिंक मार्ग के सहारे स्थित नहीं है एवं आवादी के सहारे स्थित है।
17. क्रेता का प्रकार - पुरुष है।



*Alhamb*

*9*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 127898


-4-

18. विक्रेता व क्रेता भारतीय नागरिक है।

19. यूनिक आई0 डी0 नं0-1223570152000012

भूमिधरी का विवरण :-

आराजी भूमिधरी खाता संख्या 122 के गाटा संख्या 152 रकवा 1.3590 है0 लगानी 41.00 रू0 वार्षिक स्थित मौजा भीकगपुर परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ में विक्रेता प्रथमपक्ष 1/12 भू भाग अर्थात रकवा 0.11325 है0 का मालिक। और अपने सम्पूर्ण 1/12 भू भाग अर्थात रकवा 0.11325 है0 भूमिधरी विक्रीत।



हम कि महेश चन्द्र पुत्र तेजपाल सिंह निवासी मौजा भीकगपुर परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़।

मौ नं0- 9012869314

आधार कार्ड नं0- 8767 9278 3891

पैन नं0- AKYPC5891M

— विक्रेता प्रथमपक्ष

ए व म

स्मृति कोलोनाइजर्स एण्ड बिल्डर्स द्वितीय तल सराफा कॉम्प्लैक्स सराफा बाजार अलीगढ़ द्वारा भागीदार श्री अमित कुमार पुत्र स्व0 श्री चन्द्रशेखर निवासी एम.आई.जी. 29 आवास विकास कॉलोनी सासनी गेट अलीगढ़।

मौ नं0- 9997019486

आधार नं0 2950 6280 0132

पैन नं0- AEDFS1656P

— क्रेता द्वितीयपक्ष



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


DN 127056

12 NOV 2020

002

-5-

जो कि विक्रेता प्रथमपक्ष आराजी भूमिधरी खाता संख्या 122 के गाटा संख्या 152 रकवा 1.3590 है। लगानी 41.00 रु० वार्षिक स्थित मौजा शीतमपुर पुरगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ में विक्रेता प्रथमपक्ष 1/12 भू भाग यानि रकवा 0.11325 है० का मालिक, काबिज एवं सर्वाधिकारी दर्ज खतौनी है और विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने सम्पूर्ण 1/12 भू भाग अर्थात् रकवा 0.11325 है० भूमिधरी विक्रीत की है। विक्रेता प्रथमपक्ष को विक्रीत भूमि को विक्रय करने के समस्त हक एवं हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं। कोई राज्य नियम किसी रूप में बाधक नहीं है उपरोक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के भार बंधन व जेरे जमानत व रहन बैहिवै आदि से नितांत मुक्त एवं साफ है। चूंकि विक्रेता प्रथम पक्ष को वास्ते खर्च खानगी एवं दीगर जरूरत के लिए रुपयो की आवश्यकता है और कीमत भी उचित एवं सही मिल रही है। अतः प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण 1/12 भू भाग अर्थात् रकवा 0.11325 है० भूमिधरी को समस्त मालिकाना अधिकारों सहित मुवलिंग 26,00,000/-रुपया ( छब्बीस लाख रुपया) में बहक स्मृति कोलोनाइजर्स एण्ड बिल्डर्स द्वितीय तल सर्राफा कॉम्प्लैक्स सर्राफा बाजार अलीगढ़ द्वारा भागीदार श्री अमित कुमार पुत्र स्व० श्री चन्द्रशेखर गिवासी एम.आई.जी. 29 आवास विकास कॉलोनी सासनी गेट अलीगढ़ के पक्ष में विक्रय कर दी है यानि कतई बेच डाली है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष फर्ग से



Alka

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 127057

12/04/2020

-6-

विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपना समस्त मूलधन निम्नलिखित विवरण द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब प्रथमपक्ष का मूलधन की बाबत कोई रूपया अथवा पैसा लेना शेष नहीं रहा है और न ही आइंदा को भविष्य में रहेगा। विक्रेता प्रथम पक्ष ने विक्रीत भूमि से अपना कब्जा व दखल हटाकर क्रेता द्वितीय पक्ष का कब्जा व दखल आज पूर्ण रूप से विक्रीत भूमिधरी पर करा दिया है अब क्रेता द्वितीय पक्ष विक्रीत भूमिधरी के पूर्ण रूप से स्थाई स्वामी एवं सर्वाधिकारी हो गये हैं अब क्रेता द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह विक्रीत भूमिधरी में स्वयं खेती करे, व चाहे जो करे, विक्रय आदि करे और क्रेता द्वितीय पक्ष विक्रीत भूमिधरी का दाखिल खारिज स्वयं अपने नाम अपने खर्च से अंकित व दर्ज करा लेवे इसमें विक्रेता प्रथम पक्ष को व उनके वारिसान को कोई उजर व एतराज नहीं होगा। यदि भविष्य में विक्रेता प्रथम पक्ष के स्वामित्व दोष व कानूनी त्रुटि के कारण विक्रीत भूमिधरी का कोई कुल या जुज भाग क्रेता द्वितीय पक्ष के अधिकार से निकल जावे अथवा उराकी सुरक्षा हेतु क्रेता द्वितीय पक्ष को कोई रूपया अथवा पैसा अदा या खर्च करना पड़े तो उरा दशा में क्रेता द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल या जुज अदा शुदा रूपया को मय सूद कानूनी के हिसाब से विक्रेता प्रथमपक्ष व उनके वारिसान से चाहे जिस प्रकार से वसूल कर लेवे इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता को व उनके वारिसान को कोई किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं होगा। विक्रेता प्रथमपक्ष ने विक्रीत भूमिधरी की बाबत क्रेता द्वितीयपक्ष को गुडटाईटिल की



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 127058

-7-

गारण्टी दी है। बैनामा हाजा पर क्रेता द्वितीय पक्ष ने सरकारी निर्धारित दर के हिसाब से स्टाम्प शुल्क स्वयं अपने द्वारा क्रय करके अदा किया है। बैनामा हाजा को विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर लिखा गया है यदि कोई विधिक त्रुटि पाई जाती है तो विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे इस विक्रय पत्र की पाबंदी क्रेता व विक्रेता व उनके वारिसान पर समान रूप से लागू होगी। अतः अपनी मन इन्द्रिय एवम् बुद्धि की सही दशा में बिना जोर व नजायज दबाव के स्वेच्छा से सोच समझकर यह बैनामा लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवें।


सोभाये उपरोक्त कृषिभूमिधरी :-

- खेत वनधारी लाल।
- खेत थान सिंह।
- खेत महावीरा कोलोनाइजर्स
- खेत अखिल गुप्ता।

प्राप्त मूल्यधन का विवरण :-

1. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितीयपक्ष क्रेता से मु0 26,00,000/- रूपया द्वारा चैक नम्बर 227776 दिनांक 18.11.2020 को पारित सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा संब्जी मण्डी अलीगढ़ से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल मूल्यधन 26,00,000/- रूपये प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितीयपक्ष क्रेतागण से प्राप्त कर लिये है कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है और ना ही भविष्य में होगा।



Alhuda





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


BN 501446

-8-

विक्रीत भूमिधरी पर नियमानुसार स्टाम्प अदा किया गया है।

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*





प्रदेश UTTAR PRADESH  
002


BN 501445

-9-

फोटो गवाहान की शिनाख्त पर रामगोपाल गुप्ता एडवोकेट तहसील कोल जिला अलीगढ़ ने प्रमाणित किये है।



गवाह -1  
नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री खचेर सिंह  
निवासी भीकमपुर पर0 व तह0 कोल अलीगढ़।  
मो नं0 8923183105



गवाह -2  
नितिन कुमार पुत्र श्री सियाराम सिंह निवासी मन्दिर का नगला  
आगुरा रोड तहसील कोल जिला अलीगढ़।  
मो नं0 9634825911



तहरीर तारीख  
**ATTESTED**  
मजमून नवीस  
**BASANT GIRI**  
NOTARY ADVOCATE  
TEH. KOIL, ALIGARH  
13-2-20

- 18.11.2020 ई0
- अजय शर्मा तह0कोल अलीगढ़।
- रामगोपाल गुप्ता एडवोकेट तहसील कोल जिला अलीगढ़ व इकरारे मुकिरान लिखा गया है।

*(Signature)*  
18/11/2020